

पत्र संख्या:-15/एम 1-177/2014-1082

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक.....11/6/2015

विषय:- डा० सी०पी०ठाकुर कालेज, चेचौल, नौबतपुर, पटना का संबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय पत्रांक-G III A/451/13 दिनांक-19.11.2013 के द्वारा डा०सी०पी०ठाकुर कालेज, चेचौल, नौबतपुर, पटना के कला एवं वाणिज्य संकाय के कतिपय विषयों में संबंधन प्रदान करने निमित्त प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि उक्त प्रस्ताव की समीक्षा की गयी समीक्षोपरान्त राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-1098 दिनांक-19.04.86 के द्वारा निर्गत परिनियम में निहित प्रावधानों के अंघीन कुल धारित, जमीन एवं सुरक्षित कोष में विश्वविद्यालय में जमा की गयी राशि मानक से कम है।

अतः परिनियम में अंकित प्रावधानों के अनुरूप उक्त कर्मी को एक माह के अंदर पूरा कराते हुए विभाग को सूचित किया जाय ताकि मामले में अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सके।

विश्वासभाजन,

6/6/15

सरकार के संयुक्त सचिव
राजेश